संख्या–3913/9–आ–1–1999–120–विविध/98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवासएवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. समस्त विसि प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनाँक : 13 अगस्त, 1999

विषय : स्वैच्छिक शमन योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3015/9–आ–1–1999–120 विविध/98 दिनाँक 22.6.1999 में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3015/9–आ–1–1999–120 विविध/98 दिनाँक 22.6.1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा स्वैच्छिक शमन योजना की अवधि विलम्ब शुल्क सहित एक माह और बढ़हई गई है। कतिपय विकास प्राधिकरणों ने जिज्ञासा प्रकट की है कि उक्त शासनादेश के अनुसरण में एक माह की अतिरिक्त अवधि पूर्व में नियत (तीन माह) अवधि की निरन्तरता में अनुमन्यता होगी अथवा उपध्यक्ष द्वारा नियत तिथि के अनुसार अनुमन्य होगी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वैच्छिक शमन योजना चूँकि अलग–अलग तिथियों में लागू की गई है अतः शासन द्वार यह निर्णय लिया गया है कि विलम्ब शुल्क सहित बढ़ाई गई अवधि उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा नियत तिथि के अनुसार अनुमन्य होगी ताकि बढ़ाई गयी अवधि का लाभ जनता को मिल सके। समस्त प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि जहाँ पूर्व में नियत अवधि समाप्त हो चुकी है वहाँ विलम्ब शुल्क सहित अनुमन्य सुविधा तत्काल लागू की जाए अन्यथा नएअनधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त जहाँ स्वैच्छिकता शमन योजना लागू किए हुए अभी तीन माह का समय नहीं पूर्ण हुआ है ऐसे प्राधिकरणों में यह सुविधा पूर्व में नियत अवधिकी निरन्तरता में अनुमन्य होगी।

3. अतएव अनुरोध है कि विलम्ब शुल्क सहित अनुमन्य एक माह की अतिरिक्त अवधि लागू किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और नियत तिथि की सूचना शासन को भी उपलब्ध कराएँ।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–3913(1)/9–आ–1–1999–120,विविध/98तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

आज्ञा से,
रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव